संख्या पी-13013/95/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) के माध्यम से आवेदनों की अस्वीकृति तथा अस्वीकृत आवेदनों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)

1. यूडीआईडी परियोजना के बारे में

1.1 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है। यह परियोजना एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म—यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in)—उपलब्ध कराती है, जहाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरणों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु ऑनबोर्ड किया जाता है। ये प्रमाणपत्र दिनांक 05.05.2021 की अधिसूचना सं. 1736(ई) तथा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 के अंतर्गत निर्धारित दिव्यांगता के प्रकार/प्रकारों के मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाते हैं।

1.2 उद्देश्य

इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उद्देश्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र/यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किए जा सकने वाली परिस्थितियों तथा अधिकृत अस्पतालों या चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा ऐसे अस्वीकृत आवेदनों के निस्तारण के लिए यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करना है ।

1.3 वे परिस्थितियाँ जिनमें आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है

दिव्यांगता प्रमाणपत्र/यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु आवेदन निम्नलिखित परिस्थितियों में अस्वीकृत किया जा सकता है:

(i) जब मूल्यांकन के पश्चात प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि आवेदक में कोई दिव्यांगता नहीं हुई है।

(ii) जब आवेदक मूल्यांकन हेतु उपस्थित नहीं होता, जबकि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा दो (2) माह की अवधि में, कम से कम पाँच (5) प्रयास, दूरभाष कॉल, यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से भेजे गए SMS या ईमेल द्वारा किए गए हों।

(iii) जब आवेदक का देहांत हो गया हो।

मनीष

1.4 अस्वीकृति की सूचना एवं अस्वीकृत आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया

(क) उपर्युक्त परिस्थिति (i) के अंतर्गत, जहाँ मूल्यांकन के पश्चात आवेदक को दिव्यांगता प्रमाणपत्र/यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु अयोग्य पाया जाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सा प्राधिकरण यूडीआईडी के ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रपत्र-VIII में अस्वीकृति के कारणों की सूचना देगा। यह प्रपत्र अस्वीकृति के तुरंत बाद स्वतः उत्पन्न होगा तथा आवेदक के डैशबोर्ड पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। पृथक से कोई अस्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यदि आवेदक निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 59(1) के अंतर्गत निर्धारित अपीलीय तंत्र के माध्यम से, अस्वीकृति की तिथि से नब्बे (90) दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) उपर्युक्त परिस्थिति (ii) के अंतर्गत, पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी पर SMS/ईमेल के माध्यम से औपचारिक सूचना भेजी जाएगी। ऐसे मामलों में पृथक अस्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। हालाँकि, अस्पताल/प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा आवेदक को मूल्यांकन हेतु अस्पताल आने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जो PwD लॉगिन डैशबोर्ड पर आवेदक को दिखाई देगा।

(ग) उपर्युक्त परिस्थिति (iii) (आवेदक की मृत्यु) के मामलों में कोई अस्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। केवल प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी/अस्पताल द्वारा प्रणाली स्तर (सिस्टम लेवल) पर आवेदन का समापन किया जाएगा।

1.4.1 अपील के उपरांत पुनः आवेदन का प्रावधान

परिस्थिति (i) में, उपर्युक्त यदि आवेदक ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत अपील दायर की है और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की तिथि से तीन माह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो आवेदक अस्वीकृत आवेदन के नामांकन/आवेदन संख्या का उल्लेख करते हुए पुनः आवेदन कर सकता है।

यूडीआईडी पोर्टल नामांकन/आवेदन संख्या एवं अन्य निर्धारित विवरणों का स्वतः सत्यापन करेगा तथा अस्वीकृत आवेदन को प्रणाली से स्वतः हटा देगा, जिससे आवेदक को यूडीआईडी पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा प्राप्त होगी।

परिस्थिति (ii) में भी, आवेदक अस्वीकृत आवेदन की नामांकन/आवेदन संख्या प्रदान कर प्रणाली सत्यापन (सिस्टम वेलिडेशन) के उपरांत पुनः आवेदन कर सकता है।

1.5 पूर्ववर्ती मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की समाप्ति

अस्वीकृत आवेदनों के निस्तारण हेतु पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया सं. P-13013/95/2023-यूडीआईडी/ आईटी/सांख्यिकी दिनांक 29.10.2024, इस संशोधित SOP के जारी होने की तिथि अर्थात 18.02.2026 से निरस्त की जाती है।

मनीष

1.6 एमआईएस रिपोर्टिंग

यूडीआईडी पोर्टल के एमआईएस खंड में एक पृथक टैब उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का अवलोकन एवं निगरानी की जा सकेगी।

मनीष कुमार मिश्रा
अवर सचिव, भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सेवा में,

विभाग के यूडीआईडी पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से सभी संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।